२१.३.२२ | वकील उभयपक्ष उप० । अप्रार्थी सं०
1/6 को रजि० ए० डी० सम्मन जारी किये
एक माह से अधिक समय हो चुका है
अतः तामील मानी जाती है प्रा० पत्र
४१ R 27 पर उभयपक्ष को सुना गया।
अधि० प्रार्थी द्वारा कथन किया कि
प्रस्तुत सभी दस्तावेज सरकारी रिकार्ड
के भाग है तथा प्रकरण से संबंधित
अहम दस्तावेज है जबकि मूल रिकार्ड
गुर्जर आंदोलन में जल जाने के कारण
पुनः बनाई गई है इस कारण मूल दस्तावेज
प्रक० में उपलब्ध नहीं है इसी कारण
प्रक० में नकल प्रस्तुत करना आवश्यक है

(signature) — (signature)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार...	अतः प्रा.पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही बाद प्रा.पत्र पर बहस करते हुए, उक्त प्रा.पत्र को स्वीकार कर मूल अपील के नम्बर पर लिये जाने का कथन किया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त बहस कथन किया कि बाबत प्रा.पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया है एवं उक्त बाबत प्रा.पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण भी अपील द्वारा नहीं बताया गया है अतः बाद प्रा.पत्र खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया। यद्यपि बाबत प्रा.पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया है किन्तु धारा 5 प्रा.पत्र में अंकित विलम्ब के कारणों व उक्त बहस प्रार्थी वकील द्वारा दिये गये तर्कों से हम सहमत है और जहाँ तक अपीलार्थी अधिवक्ता की आपत्ति का प्रश्न है तो यह सही है कि बाबत प्रा.पत्र देरी से प्रस्तुत किया परन्तु इसकी पूर्ति कोस्ट से की जा सकती है तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने से न्याय का हनन होता है लिहाजा बाबत प्रा.पत्र 200/- कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है साथ ही प्रा.पत्र बाबत के साथ संलग्न प्रा.पत्र 41 R 27 का निस्तारण हम मूल अपील के साथ किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः आदेश है। ...लगातार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की ... में जारी
	कि वाजिबा प्रा० पत्र 200/- रुपये की कीमत पर स्वीकार किया जाता है। मूल अपील के नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही वाद. प्रा. पत्र में संलग्न प्रा. पत्र 51 नि० 27 मूल अपील प्रा० के साथ पेश है। वाद. प्रा. पत्र पृथक शुमार होकर, नम्बर से दर्ज की जावे। उक्त प्रा. पत्र वाजिबा मूल अपील के साथ संलग्न रहे। sd भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)	